



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-ओ.आर.-अ.-29012026-269640
CG-OR-E-29012026-269640

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 359]

नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 27, 2026/माघ 7, 1947

No. 359]

NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 27, 2026/MAGHA 7, 1947

रेल मंत्रालय

[पूर्व तट रेलवे (निर्माण)]

अधिसूचना

भुवनेश्वर, 27 जनवरी, 2026

(रेलवे अधिनियम 1989 की धारा 20ए के तहत सूचना)

का.आ. 387(अ).—रेलवे (संशोधन) अधिनियम, 1989(24/89) (जिसे इसके बाद उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 20ए की उप-धारा(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के तहत, केंद्र सरकार इस बात से संतुष्ट होने के बाद कि सार्वजनिक उद्देश्य के लिए, भूमि, जिसका संक्षिप्त विवरण यहां संलग्न अनुसूची में दिया गया है, विशेष रेलवे परियोजना के निष्पादन के लिए आवश्यक है, अर्थात्, आंध्र प्रदेश राज्य के श्रीकाकुलम जिले में "वाल्टेयर डिवीजन की मुख्य लाइन पर पुंडी – नौपाड़ा के बीच किमी 689/1-3 पर मानवयुक्त एलसी संख्या एमएल-381 को बंद करने के बदले रोड ओवर ब्रिज का निर्माण" इसके द्वारा ऐसी भूमि का अधिग्रहण करने का इरादा घोषित करती है।

उक्त भूमि में हितबद्ध कोई भी व्यक्ति, अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से (30) तीस दिन की अवधि के भीतर, उक्त अधिनियम की धारा 20घ की उपधारा(1) के अधीन प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के अर्जन पर आपत्ति उठा सकेगा।

प्रत्येक आपत्ति, सक्षम प्राधिकारी अर्थात् भूमि अधिग्रहण के लिए सक्षम प्राधिकारी (काला) राजस्व मंडलीय अधिकारी (आरडीओ)/ पलासा को वाल्टेयर डिवीजन की मुख्य लाइन पर पुंडी – नौपाड़ा के बीच किमी 689/1-3 पर मानवयुक्त एलसी संख्या एमएल-381 को बंद करने के बदले रोड ओवर ब्रिज का निर्माण के संबंध में लिखित रूप में आवेदन प्रस्तुत की जाएगी तथा ऐसे आपत्ति के आधार निर्धारित किया जाएगा और सक्षम प्राधिकारी, आपत्तिकर्ता को चाहे वह व्यक्तिगत रूप से हो या फिर किसी विधि व्यवसायी के माध्यम से, सुनवाई का अवसर देगा, और ऐसे आपत्तियां सुनने के पश्चात् और आवश्यक आगे की जांच, यदि कोई हो, करने के पश्चात्, जैसा कि सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे आपत्तियों को स्वीकार या अस्वीकार कर सकेगा।

उक्त अधिनियम के 20D की उप-धारा(2) के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया कोई भी आदेश को अंतिम माना जाएगा। इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि की योजनाएं और अन्य विवरण उपलब्ध हैं और इच्छुक व्यक्ति द्वारा सक्षम प्राधिकारी के उपरोक्त कार्यालय में उनका निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

विशेष रेलवे परियोजना अर्थात् आंध्र प्रदेश राज्य के श्रीकाकुलम जिले में “वाल्टेयर डिवीजन की मुख्य लाइन पर पुंडी – नौपाड़ा के बीच किमी 689/1-3 पर मानवयुक्त एलसी संख्या एमएल-381 को बंद करने के बदले रोड ओवर ब्रिज का निर्माण” के लिए संरचनाओं के साथ या बिना संरचनाओं के अधिग्रहित की जाने वाली भूमि का संक्षिप्त विवरण (अनुलग्नक1) यहां संलग्न है।

जिले का नाम और राज्य: श्रीकाकुलम, औरआंध्र प्रदेश

(अनुलग्नक1)

गाँव का नाम/नंबर		सर्वे नंबर/एलपीएम नंबर	एकड़ में कुल क्षेत्रफल	अधिग्रहित क्षेत्र एकड़ में	वर्गीकरण	भूमि का प्रकार
1	गुनालपाडु	1	1.69	0.26	पोरम्बोकु	सरकारी भूमि
		2	0.83	0.491	पोरम्बोकु	सरकारी भूमि
		3	0.51	0.403	पोरम्बोकु	सरकारी भूमि
		13	1.69	0.12	सरकार पंजा	निजी भूमि
		14	0.89	0.119	सरकार पंजा	निजी भूमि
		15	1.19	0.359	सरकार मनवारी	निजी भूमि
		16	0.54	0.098	सरकार मनवारी	निजी भूमि
		384	0.091	0.02	सरकार पंजा	निजी भूमि
2	गोविंदपुरम	448	18.258	0.013	सरकार पंजा	निजी भूमि
		543	8.892	0.257	सरकार पंजा	निजी भूमि
		665	2.518	0.025	पोरम्बोकु	सरकारी भूमि
		682	9.345	0.005	सरकार नंजा	निजी भूमि
		682		0.074	सरकार नंजा	निजी भूमि
		692	0.429	0.044	सरकार नंजा	निजी भूमि
		693	0.823	0.081	सरकार पंजा	निजी भूमि
		713	8.895	0.232	सरकार पंजा	निजी भूमि

3	मनिघम	193-1	1.94	0.21	पोरम्बोकु भूमि	सरकारी भूमि (कालीबाटा)
		193-3D	1.1	0.08	सूखी भूमि	निजी भूमि
		197-1	0.77	0.27	पोरम्बोकु भूमि	सरकारी भूमि (कालीबाटा)
		197-2	1.34	0.19	सूखी भूमि	निजी भूमि
		198-1A	0.44	0.44	पोरम्बोकु भूमि	सरकारी भूमि (कालीबाटा)
		198-1B	0.77	0.1	पोरम्बोकु भूमि	सरकारी भूमि (रेलवे लाइन)
		198-2	0.63	0.12	सूखी भूमि	निजी भूमि
		198-3	0.57	0.09	सूखी भूमि	निजी भूमि
		198-4	0.65	0.09	सूखी भूमि	निजी भूमि
		198-5A	0.56	0.06	सूखी भूमि	निजी भूमि
		198-6A	0.42	0.12	सूखी भूमि	निजी भूमि
	कुल अधिग्रहित क्षेत्र एकड़ में			4.371		

अमूर्त

गाँव का नाम	सरकारी भूमि	निजी भूमि			कुल अधिग्रहित क्षेत्र एकड़ में
		गीली भूमि	सूखी भूमि	मनवारी	
गुनालपाडु	1.154	0.000	0.259	0.457	1.870
गोविंदपुरम	0.025	0.123	0.583	0.000	0.731
मनिघम	1.020	0.000	0.75	0.000	1.770
कुल	2.199	0.123	1.592	0.457	4.371

[फा.सं. CAO/CON/RSP/VSKP/ROBs/381/20A]

अजय कुमार सामल, मुख्य इंजीनियर (निर्माण-II)

MINISTRY OF RAILWAYS

[East Coast Railway (Construction)]

NOTIFICATION

Bhubaneswar, the 27th January, 2026

Notice under Section 20A of the Railways Act-,1989

S.O. 387(E).—In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 20A of the Railways (Amendment) Act, 1989 (24/89) (herein after referred as the said Act.), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the Land, brief description of which is given in the schedule annexed here to is required for the execution of **Special Railway Project**, namely, “**Construction of Road over Bridge in lieu of closing of manned LC No ML - 381 at Km 689/1-3 between Pundi (PUN)- Naupada (NWP) on Main Line of Waltair Division**” in Srikakulam district in the state of Andhra Pradesh, hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may within a period of (30) thirty days from the date of publication of the notification in the Official Gazette, raise objection to the acquisition of such land for the aforesaid purpose under sub-section(1) of section 20D of the said Act.

Every objection shall be made to the competent authority, namely **Competent Authority Land Acquisition (CALA) i.e. The Revenue Divisional officer (RDO), Palasa for Construction of Road over Bridge in lieu of closing of manned LC No ML - 381 at Km 689/1-3 between Pundi (PUN)- Naupada (NWP) on Main Line of Waltair Division** in writing, and shall set out grounds thereof and competent authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or through a legal practitioner and may after hearing all such objections

and after making such further inquiry if any as the competent authority thinks necessary by order either allow or disallow the objections.

Any order made by the competent authority under sub-section (2) of 20D of the said Act shall be final. The land plans and other details of the land covered under this notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the competent authority.

SCHEDULE

Brief description of land attached here with to be acquired with or without structures for Special Railway Project namely “Construction of Road over Bridge in lieu of closing of manned LC No ML - 381 at Km 689/1-3 between Pundi (PUN)- Naupada (NWP) on Main Line of Waltair Division” in Srikakulam district in the state of Andhra Pradesh.

Name of the District & State: Srikakulam & Andhra Pradesh

(Annexure-I)

LAND SCHEDULE of ROB No.381 of Vajrapukothuru Mandal in Gunalapadu & Govindapuram Village and Nandigam Mandal in Manigham Village, District : Srikakulam						
Name/No.of village		Survey number/LPM no	Total Area in Acre	Acquired area in acre	Classification	Type of land
1	Gunalapadu	1	1.69	0.26	Poramboku	Government land
		2	0.83	0.491	Poramboku	Government land
		3	0.51	0.403	Poramboku	Government land
		13	1.69	0.12	Sarkar punja	Private Land
		14	0.89	0.119	Sarkar punja	Private Land
		15	1.19	0.359	Sarkar manavari	Private Land
		16	0.54	0.098	Sarkar manavari	Private Land
		384	0.091	0.02	Sarkar punja	Private Land
2	Govindapuram	448	18.258	0.013	Sarkar punja	Private Land
		543	8.892	0.257	Sarkar punja	Private Land
		665	2.518	0.025	Poramboku	Government land
		682	9.345	0.005	Sarkar nanja	Private Land
		682		0.074	Sarkar nanja	Private Land
		692	0.429	0.044	Sarkar nanja	Private Land
		693	0.823	0.081	Sarkar Punja	Private Land
		713	8.895	0.232	Sarkar Punja	Private Land
3	Manigham	193-1	1.94	0.21	Poramboku Land	Government Land (Kaalibata)
		193-3D	1.1	0.08	Dry Land	Private Land
		197-1	0.77	0.27	Poramboku Land	Government Land (Kaalibata)
		197-2	1.34	0.19	Dry Land	Private Land
		198-1A	0.44	0.44	Poramboku Land	Government Land (Kaalibata)
		198-1B	0.77	0.1	Poramboku Land	Government Land (Railway line)
		198-2	0.63	0.12	Dry Land	Private Land
		198-3	0.57	0.09	Dry Land	Private Land
		198-4	0.65	0.09	Dry Land	Private Land
		198-5A	0.56	0.06	Dry Land	Private Land
		198-6A	0.42	0.12	Dry Land	Private Land
	Total Acquired area in acre			4.371		

Abstract					
Name of the Village	Govt land	Private land			Total acquired land
		Wet land	Dry Land	Manavari	
Gunalapadu	1.154	0.000	0.259	0.457	1.870
Govindapuram	0.025	0.123	0.583	0.000	0.731
Manigham	1.020	0.000	0.75	0.000	1.770
Total	2.199	0.123	1.592	0.457	4.371

[F. No. CAO/CON/RSP/VSKP/ROBs/381/20A]

AJAYA KUMAR SAMAL, Chief Engineer (Construction-II)